

(राजस्थान-सरकार)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 01/2017

रजिस्ट्रेशन सं० :- 2017/00264

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारों जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारों
(सायल)

बनाम

भूपेन्द्र सिंह उर्फ नाडिया उम्र 40 वर्ष पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी मालादेवी मौहल्ला
चौमुखा बाजार बारों जिला बारों

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा-3

उपस्थिति :- 1- अभियोजन अधिकारी (सायल)
2- स्वयं उपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 28.06.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल भूपेन्द्र सिंह उर्फ नाडिया वर्ष पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी मालादेवी मौहल्ला चौमुखा बाजार बारों जिला बारों के विरुद्ध राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारों जिला बारों ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारों को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली बारों जिला बारों क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस अपराधी की स्थिति एक सामान्य व्यक्ति से हट कर आपराधिक प्रवृत्ति की रही है। यह व्यक्ति मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले एवं सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध भा०द०स० की अनुसूची भाग 01 अध्याय 16 एवं 17 में वर्णित अपराधो को गठित करने का आदि हो गया है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारों में वर्ष 1999 से 2017 तक की अवधि में कुल 23 अपराधिक प्रकरण भादस एवं स्थानीय/विशेष अधिनियम के तहत पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय में पेश किये गये हैं जिनमें कुल 10 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है तथा 05 प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इसके उपरान्त भी इस व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियाँ जारी रही हैं। उपरोक्त निर्णित 10 प्रकरणों में यह व्यक्ति न्यायालय से भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न कारावास अवधि के लिये दोषसिद्ध/दण्डित किया जा चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये मुख्य दण्ड आदेश को अपील या पुनरीक्षण में भी नहीं बदला गया और दण्ड आदेश प्रभावी रहा है।

अतः उक्त आपराधिक प्रवृत्ति के आभ्यासित अपराधी भूपेन्द्र सिंह उर्फ नाडिया वर्ष पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी मालादेवी मौहल्ला चौमुखा बाजार बारों जिला बारों को राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 03 के तहत आभ्यासित अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करते हुये प्रभावी नियन्त्रण हेतु अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुरूप विधिक शर्त अनुदेश/आज्ञा जारी किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 19.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जरिये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु निवेदन किये जाने पर, प्रकरण में गैरसायल का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरुद्ध इसके विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारों में वर्ष 1999 से 2017 तक की अवधि में 23 अपराधिक प्रकरण भादस एवं स्थानीय/विशेष अधिनियम के तहत पंजिबद होकर चालान पेश न्यायालय में किये गया है। जिनमें यह 10 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है तथा 05 प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इसके उपरान्त भी इस व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियां जारी रही हैं। उपरोक्त निर्णित 10 प्रकरणों में यह व्यक्ति न्यायालय से भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न कारावास अवधि में लिये दोषसिद्ध/दण्डित किया जा चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये मुख्य दण्ड आदेश को अपील या पुनरीक्षण में भी बदला नहीं गया और दण्ड आदेश प्रभावी रहा है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह प्रमाणित है कि यह व्यक्ति उपरोक्त प्रकार के अपराधों को करने का आभ्यासित हो चुका है। पांच वर्ष की निरन्तर कालावधि के दौरान (18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद) तीन से अन्धन अवसरों पर न्यायालय से भिन्न-भिन्न कारावास अवधि के लिये दोषसिद्ध किया गया है। उपरोक्त व्यक्ति अधिनियम में परिभाषित आभ्यासित अपराधी के अन्तर्गत आता है तथा उक्त अपराधी की निगरानी एवं नियन्त्रण के लिये उपबन्ध करना समीचीन प्रतीत है।

अतः उक्त आपराधिक प्रवृत्ति के आभ्यासित अपराधी भूपेन्द्र सिंह उर्फ नाडिया वर्ष पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी मालादेवी मौहल्ला चौमुखा बाजार बारों जिला बारों को राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 03 के तहत आभ्यासित अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करते हुये प्रभावी नियन्त्रण हेतु अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुरूप विधिक शर्त अनुदेश/आज्ञा जारी किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

गैरसायल द्वारा दौराने बहस कहा गया कि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली बारों में वर्ष 1999 से 2017 तक की अवधि में 23 अपराधिक प्रकरण भादस एवं स्थानीय/विशेष अधिनियम के तहत पंजिबद होकर चालान पेश न्यायालय में किये गये हैं। जिनमें 10 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है तथा 05 प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान में कोई नया केस गैरसायल के विरुद्ध थाने में दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल गरीब व्यक्ति हैं। वर्तमान में मेहनत मजदूरी करके शांति पूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हैं। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, कोतवाली बारों जिला बारों द्वारा इस न्यायालय में राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा-3 के तहत प्रस्तुत की गई कार्यवाही खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल स्वयं की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि भूपेन्द्र सिंह उर्फ नाडिया वर्ष पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी मालादेवी मौहल्ला चौमुखा बाजार बारों जिला बारों द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम, 1953 की धारा-3 की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है क्योंकि प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 10 आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल भूपेन्द्र सिंह उर्फ नाडिया वर्ष पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी मालादेवी मौहल्ला चौमुखा बाजार बारों जिला बारों को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान अभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा-3 के तहत अभ्यासित अपराधी घोषित करता हूँ। राजस्थान अभ्यासित अपराधी नियम संख्या 3 द्वारा प्रपत्र 1 का निर्धारण किया गया है जिसके आधार पर अभ्यासित अपराधियों का रजिस्टर, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक जिले हेतु तैयार व कायम रखना है। उक्त रजिस्टर में गैरसायल की अंगुली एवं हथेली की छाप, पांव के निशान तथा उसका चित्र (फोटो) लिया जावेगा। इस रजिस्टर में, एक बार पुलिस अधीक्षक की संरक्षा में आ जाने पर, जिला दण्डनायक के आदेशों के बगैर कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। गैरसायल की गतिविधियों पर समय-समय पर निगरानी रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक **28.06.2022** को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारों